



STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org



संचिका संख्या SHSB/PM/271/2010, Part File- IV

पत्रांक

संजय कुमार, मा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक

-सह-

सचिव, स्वास्थ्य

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सदस्य, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक

विषय : औषधि एवं चिकित्सीय सामग्रियों हेतु का दर अनुबंध (Drug Round VIII) की अवधि विस्तार के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि Drug Round VIII की औषधियाँ एवं विभिन्न चिकित्सीय सामग्रियों जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 29695 दिनांक 27.08.11 के द्वारा 82 औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों, पत्रांक 30168 दिनांक 16.09.2011 के द्वारा 97 औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों, पत्रांक 32413 दिनांक 14.12.2011 के द्वारा 22 औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों एवं पत्रांक 32783 दिनांक 27.12.11 के द्वारा 5 औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों का दर अनुबंध कर जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को संसूचित किया गया है। उक्त दर अनुबंध की अवधि दिनांक 31.03.13 को समाप्त हो जायेगी। ज्ञातव्य हो कि Drug Round VIII के औषधि एवं चिकित्सीय सामग्रियों के नये दर अनुबंध हेतु Drug Round X की निविदा प्रकाशित कर विहित प्रक्रियानुसार दर अनुबंध करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

औषधियों की उपलब्धता राज्य के सरकारी अस्पतालों में बनाये रखने हेतु जनहित एवं विशेष परिस्थिति में Drug Round VIII के निम्नलिखित पत्रों के माध्यम से दवाओं के किये गये दर अनुबंध का अवधि विस्तार पूर्व निर्धारित दर एवं अन्य शर्तों पर अगले आदेश तक इस शर्त के साथ किया जाता है कि जिस तिथि को Drug Round X, जिसमें Drug Round VIII की दवाएँ सम्मिलित है, का दर अनुबंध प्रभावी हो जाता है उस तिथि से विस्तारित अवधि स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Letter Number	Date	No. of Drugs
29695	27.08.2011	82
30168	16.09.2011	97
32413	14.12.2011	22
32783	27.12.2011	5

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

ज्ञापांक 2249

पटना, दिनांक 13/03/13

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : Drug Round VIII के सभी दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों एवं स्थानीय डीपो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

